उनवान

मु0न0:— 86/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

रजू दिनांकः— 30.06.2023

मु0न0:—86/2023

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना (आर.ए.एस)

उनवान

हुशियार पुत्र रमेश जाति गूर्जर निवासी गूर्जर निवासी बौल तहसील टोडाभीम। वादी

बनाम

तहसीलदार टोडाभीम। प्रतिवादी

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितिः— श्री विजय भारती एडवोकेट वादी

पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय दिनांकः— 28.06.2024

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बौल की आराजी ख0न0 1517 रकवा 0.34 है0 मे वादी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के जमाबन्दी मे दर्ज अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 1450/0.08, 1451/0.10, 1452/0.10 कुल किता 3 कुल रकवा 0.28 है0 मे वादी 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के जमाबन्दी मे दर्ज अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 1182 रकवा 0.38 है0, 1461 रकवा 0.18 है0 मे वादी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के जमाबन्दी मे दर्ज अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

उक्त आराजीयात मे वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत नामांतकरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियो से वादी के सही नाम हुशियार के स्थान पर वादी का बोलता नाम कल्ला दर्ज कर दिया है जो गलत इन्द्राज किया है। जबकि वादी का सही नाम हुशियार है। वादी के समस्त दस्तावेज आधारकार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर लिस्ट मे हुशियार नाम दर्ज है।

वादी ने जब बैक से ऋण लेने हेतु जमाबन्दी निकलवाई तब जाकर वादी को उक्त गलत इन्द्राज का मालुम होने पर दिनांक 26.06.2023 को तहसीलदार टोडाभीम कार्यालय मे जाकर दुरूस्ती करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदारजी ने इन्द्राज दुरूस्ती के लिये मना कर दिया और वादी से न्यायालय मे कार्यवाही करने को कहा जिस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर रा[illegible] मे ग्राम बौल की आराजीयात ख0न0 ख0न0 1517/ 0.34 है0, 1450/[illegible] 1452/0.10 है0, 1182/ 0.38 है0, 1461/0.18 है0 मे वादी के नाम क[illegible] उसके स्थान पर हुशियार पुत्र रमेश दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-गंगापुर सिटी

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, पैरोकार सरकार ने अपनी रिपोर्ट मे जबाब पेश किया कि ग्राम बौल की जमाबन्दी सम्वत 2076–79 के खाता न0 72, 202, 203, 141 मे वादी का नाम कल्ला पुत्र रमेश जाति गूर्जर दर्ज रिकार्ड हैं। वादी का सही नाम हुशियार पुत्र रमेश है, वादी का बचपन मे बोलता नाम कल्ला पुत्र रमेश के नाम से पुकारते थे। जो वादी के पिता के फौत होने पर विरासत नामांतकरण से आया है, साथ ही वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, ई श्रम कार्ड मे वादी का नाम हुशियार पुत्र रमेश दर्ज है।

वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम कल्ला पुत्र रमेश दर्ज है जो कि गलत है जबकि वादी के दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर लिस्ट मे हुशियार पुत्र रमेश का अंकन है अतः वादी का नाम कल्ला पुत्र रमेश के स्थान पर हुशियार पुत्र रमेश दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी का नाम कल्ला पुत्र रमेश दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, ई श्रम कार्ड मे वादी का नाम हुशियार पुत्र रमेश दर्ज है।

वादीया वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल ग्राम बौल की जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 के ख0न0 1517 रकवा 0.34 है0 मे वादी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के जमाबन्दी मे दर्ज अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। तथा ख0न0 1450/0.08, 1451/0.10, 1452/0.10 कुल किता 3 कुल रकवा 0.28 है0 मे वादी 1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। बकिया हिस्से के जमाबन्दी मे दर्ज अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ख0न0 1182 रकवा 0.38 है0, 1461 रकवा 0.18 है0 मे वादी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल वादी के दस्तावेज यथा आधार कार्ड न0 6691 1268 6461, जनआधार कार्ड न0 4833501832, ई–श्रम कार्ड न0 7109 6276, 1978 मे हुशियार पुत्र रमेश का अंकन है। तहसीलदार टोडाभीम ने भी अपनी जबाब/रिपोर्ट क्रमांकः–9 दिनांक 04.01.2024 मे वादी का नाम हुशियार पुत्र रमेश का अंकन है। उक्त विवेचन व अवलोकन बाद वादी द्वारा प्रस्तुत दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः ग्राम आराजी ख0न0 1517/0.34, 1450/0.08, 1451/0.10, 1452/0.10, 1182/0.38, 1461/0.18 है0 मे वादी का नाम कल्ला पुत्र रमेश के स्थान पर हुशियार पुत्र रमेश दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:04:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मी[illegible])
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी